<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–नोट</u>

एफ.6–ए(03) परीक्षा'क' / प्राध्यापक–संस्कृत शिक्षा / आरपीएससी / 2023–24 / **दिनांकः–23.04.2025**

<u>ऑनलाईन विस्तृत आवेदन के संबंध में</u>

प्राध्यापक–विद्यालय (Lecturer-School) प्रतियोगी परीक्षा–2024 **<u>विषय–व्याकरण व अंग्रेजी</u>** हेतु दिनांक 16.04.2025, **<u>राजनीति विज्ञान व साहित्य</u>** हेतु दिनांक 21.04.2025 तथा **<u>यजुर्वेद व इतिहास</u>** हेतु दिनांक 22.04.2025 को जारी की गई विचारित सूची में सफल अभ्यर्थी निम्नांकित दिशा–निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें :–

विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किये गये सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने SSO IDके माध्यम से recruitment portal पर <u>My Recruitment ⇨ Detailed Form Cum Scrutiny ⇨ Apply Now</u> का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन–पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा **<u>विषय–व्याकरण व अंग्रेजी</u>** हेतु दिनांक 23.04.2025 से 29.04.2025 (रात्रि 11:59 बजे) तक, **<u>राजनीति विज्ञान व साहित्य</u>** हेतु दिनांक 28.04.2025 से 04.05.2025 (रात्रि 11:59 बजे) तक तथा **<u>यजुर्वेद व इतिहास</u>** हेतु दिनांक 29.04.2025 से 05.05.2025 (रात्रि 11:59 बजे) तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन–पत्र व दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (**संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर**) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं **संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर** की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन–पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

संबंधित विभाग से दस्तावेज जाँच / सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

(रामनिवास मेहता)
सचिव